बिहार सरकार

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–03 वर्ष 2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता. : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, प0चम्पारण
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि. : 09.07.2025
3. परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय : 20.07.2026 से 24.07.2026 03:00 बजे अपराह्न तक। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.inपर)
4. प्री–बीड मीटिंग की तिथि एवं स्थान : 21.07.2025 के 11.30 बजे पूर्वाह्न, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया का कार्यालय।
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : 24.07.2026 के 03.00 बजे अपराह्न तक। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.inपर)
6. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 24.07.2026 के 04.00 बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.inपर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड निष्पादन के बाद।
8. बीड की वैधता अवधि : निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों तक।

कार्य का विवरण :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र मूल्य (रूपये में) (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	बेल्ट्रॉन प्रासेसिंग राशि (रूपये में) (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Estimate for Technical Sanction of Construction of new 125mm X 40mm dia X 61 meter deep hand operated T/well with India Mark II Hand Pump with Platform and drain along with Construction of Soak Pit having size 1M dia. & 2M deep for drinking water in place of Non-Functional handpump & Drought affected areas under P. H. Division Bettiah in West Champaran District for the Year 2026-27 (Total-50 Nos.)	46.64150	93283.00	5000.00	As per Online	2 माह

9. ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password), अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

नियम एवं शर्तः–

10. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भरकर भेज सकते हैं। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात यथा अग्रधन की राशि, निबंधन प्रमाण–पत्र, वैध आचरण प्रमाण–पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत), पैन कार्ड एवं वाणिज्य कर सक्रिय निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित पठनीय जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोटः– GST सफाया प्रमाण–पत्र (GSTR-3B) अद्यतन रहने की स्थिति पर ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।

11. विभागीय अधिसूचना संख्या 6/वि0–10162/07–552, दिनांक 28.05.2009 के आलोक में समुचित श्रेणी में सूचीबद्ध संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेंगे।

12. बेल्ट्रॉन का प्रोसेसिंग फी + अन्य कर (जो लौटाया नही जायेगा) केवल ऑनलाईन भुगतान के रुप में मान्य होगा। जो कि Internet Payment gateway (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS से भुगतान होगा।

13. अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि, 5/6/10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/5 वर्षीय Fixed Deposit /5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा पासबुक अथवा वित्त नियमावली के अनुसार अन्य दस्तावेज, जो बिहार राज्य के किसी डाकघर से क्रय अथवा जमा किया गया हो तथा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बेतिया के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, ही स्वीकार किया जायेगा। एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिए किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी , जो कार्यपालक अभियंता के नाम से प्रतिज्ञिप्त हो, वीड के कार्य समाप्ति अवधि से 45 दिनं अधिक तक के लिए मान्य हो, स्वीकार किया जायगा। यदि बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी दिया जाता है, तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार राज्य स्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा। सशर्त बैंक गारण्टी स्वीकार नहीं होगा।

14. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्राक–5768(भ) अनु0 दिनांक–18.07.2023 के आलोक में CWJC No.- 9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश के अनुसार न्यूनतम दर की सीमा 10 प्रतिशत कम दर तक मान्यता को खारिज कर दिया गया। अतः न्यूनतम प्रतिशत दर की कोई सीमा नही होगी। परिमाण विपत्र की दर से न्यूनतम दर की स्थिति में अतिरिक्त परफॉरमेन्श गारंटी नियमाकुल देय होगा।

15. एफ0–02 (F2) एकरारनामा का क्लाउज–23 विलोपित माना जायेगा।

16. वैसे संवेदक जिनके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन कार्य बकाया है, एवं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है अथवा ससमय आवंटित कार्य का संपादन नहीं किया गया है तथा उनके पास पूर्व आवंटित कार्यो के निधारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 80 प्रतिशत से कम है उन्हें असफल घोषित किया जा सकता है। निविदा में शामिल होने वाले सभी संवेदकों को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके जिम्मे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं है। अगर किसी विभागीय कारण से भी किसी एकरारनामा का का कार्य लम्बित है तो इसकी सूचना भी प्रतिशपथ में दिया जाना अनिवार्य होगा। गलत शपथ पत्र दिये जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

17. सफल निविदाकार को लोक निर्माण संहिता में निर्धारित समय अवधि के अंदर एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इससे भिन्न स्थिति में उनकी निविदा रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त करने की कार्रवाई, बिना किसी पृच्छा के प्रारंभ कर दी जायेगी।

18. निविदा में सफल होने एवं कार्य आवंटन होने के पश्चात् समय सीमा के अन्दर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

19. सफल निविदाकारों को एकरारनामा के पूर्व वैट स्वच्छता/ जी0एस0टी0 निबंधन, विज्ञापित कार्य अनुरूप आवश्यक श्रम संबंधी अनुज्ञप्ति भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 अन्तर्गत पंजीकरण आदि जमा करना होगा। इसके अभाव में होने वाले प्रतिकूल परिस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

20. संवेदक के विपत्र से आवश्यक कटौतियों के साथ–साथ 1 प्रतिशत श्रमिक कल्याण शेष एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार खनिज स्वामित्व, आयकर एवं GST TDS की विधिवत कटौती की जायेगी।

21. सशर्त अथवा अस्पष्ट निविदा अमान्य होगा। सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत सारे परिपत्र (Circulars) निविदाकारों पर लागू होगा।

22. ससमय कार्य समाप्ति की बाध्यता संवेदक की होगी। कार्य का प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में अन्तर हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य देय होगा।

. वैसे संवेदक जिनका कोई भी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में अंचल अन्तर्गत कार्यरत हैं, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

24. किसी प्रकार के शुद्धिपत्र को वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

25. कार्य की प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित अग्रधन की राशि पर ही मान्य होगा। शेष राशि एकरारनामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

26. निधि उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान देय होगा ।

27. निविदा के समय संवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड/ निविदा से Debar नहीं किये गये हैं एवं उनका कोई कार्य " Rescind " नहीं हुआ है। शपथ पत्र की मूल प्रति अग्रधन राशि के साथ जमा करना होगा। यह शर्त निविदा निष्पादन की तिथि तक मान्य होगा।

28. एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन नही करने पर बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 प्रावधानों के तहत संवेदक को निलंबन तथा काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

29. किये गये कार्यो की पूर्ण होने की तिथि से Defect Liabilities अवधि अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के लिए एक (1) वर्ष तथा मूल कार्य के लिए तीन (3) वर्ष होगा।

30. सभी शपथ पत्र संवेदकों को निबंधन उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, बिहार सरकार के अद्यतन अधिसूचना के आलोक में 100.00 (एक सौ) रूपये के स्टाम्प एवं 25.00 (पच्चीस) रूपये के एडवोकेट फंड के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।

31. निविदा डालने से पूर्व सभी निविदादाता कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

32. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग को सुरक्षित है।

33. निधि उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि मान्य नहीं होगा।

34. संवेदक "Scan" कर मूल कागजातों को "Upload" करने पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रम संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी Documents PDF, MS Office (Compatibility mode), JPEG, ZIP format में हीं Upload किया जाय, अन्य format में Uploaded documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

35. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय से पूर्व ही www.eproc2.bihar.gov.in पर बीड को Upload एवं आवश्यक ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

36. विभाग से संबंधित सूचना/शिकायत के लिए हेल्पलाईन 18003456161 का उपयोग किया जा सकता है। ई0–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई0–प्रौक्यूरमेंट हेल्प डेस्क, पहला मंजिल, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड न0– 25, श्री कृष्णा नगर, पटना– 800001 से संपर्क किया जा सकता है, दूरभाष संख्या 0612–2523006/7542028164 पर हीं हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।

9.7.24

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बेतिया

09.07.24